संचिका सं0–7 / बजट–46–28 / 2021 – 379(7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 07 / 08 / 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना में 400 बेड के हड्डी रोग संबंधी विशिष्ट अस्पताल के भवन निर्माण हेतु कुल रुपये 2,15,00,00,000 / –(दो अरब पन्द्रह करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृत योजना के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2026–27 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026–27 Under Part-III" अंतर्गत स्वीकृत एवं विमुक्त राशि के अधीन रु0 18,00,00,000 / –(रुपये अठारह करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–1192(10), दिनांक–06.03.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना में 400 बेड के हड्डी रोग संबंधी विशिष्ट अस्पताल के भवन निर्माण एवं अतिरिक्त अन्य कार्य हेतु कुल रु० 2,15,00,00,000 / – (दो अरब पन्द्रह करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

2– Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026–27 Under Part-III अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्राक–No.44(1)/PF-S/2026-27(CAPEX)-Bihar, दिनांक–29.07.2026 द्वारा इस योजना हेतु रू० 18.00 करोड मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए स्वीकृत्यादेश संख्या–No 44(1)/PF-S/2026-27(CAPEX)-Part-III-SACE-6, दिनांक–29.07.2026 के माध्यम से राशि विमुक्त की गयी है। तद्क्रम में वित्त विभाग के पत्रांक–910 / वि0, दिनांक–30.07.2026 के द्वारा SASCI 26-27 Part-III हेतु जारी दिशा–निर्देश के अनुरूप भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु0 18.00 करोड़ मात्र के व्यय की स्वीकृति दिये जाने का निर्देश दिया गया है।

3– इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 में)	व्ययादेश सं0 एवं दिनाक
1	2018–19	44,70,000 / –	स0–43(10), दिनांक–11.03.2019
2	2022–23	20,00,00,000 / –	सं0–207(7), दिनांक–21.09.2022
3	2023–24	22,00,00,000 / –	सं0–483(7), दिनांक–16.02 2024
4	2024–25	10,00,00,000 / –	सं0–573(7), दिनांक–24.03.2025
5	2025–26	30,00,00,000 / –	सं0–92(7), दिनाक–19.06.2025
6	2025–26	57,67,00,000 / –	सं0–481(7), दिनांक–29.12.2025
7	2025–26	12,33,00,000 / –	सं0–102(7ए), दिनाक– 05 03.2026
8	2026–27	4,95,00,000 / –	स0–204(7ए), दिनांक–15 06.2026
कुल योग–		**1,57,39,70,000 / –**	

4– उक्त परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2018–19 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना में 400 बेड के हड्डी रोग संबंधी विशिष्ट अस्पताल के भवन निर्माण हेतु कुल रुपये 2,15,00,00,000/–(दो अरब पन्द्रह करोड रुपये) मात्र की स्वीकृत योजना के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2026–27 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27 Under Part-III" अंतर्गत स्वीकृत एवं विमुक्त राशि के अधीन रु0 18,00,00,000/–(रुपये अठारह करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0–1192(10) दिनांक–06.03.2019 में निहित्त शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

6– इस राशि के व्यय का वहन मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उपशीर्ष–0104–शहरी क्षेत्र में राजकीय औषधालय का निर्माण, विपत्र कोड–20-4210010510104, विषय शीर्ष–53 01–मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित/प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

7– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8– वित्त विभागीय पत्र संख्या–632/वि०, दिनांक–04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या–10792/वि०, दिनांक–06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27" के लिए पूंजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी० एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए दूसरे दिन राशि को बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) पी० एल० खाता में हस्तान्तरित राशि को दूसरे दिन वित्त विभाग के पत्रांक–910/वि0, दिनांक–30.07.2026 के कंडिका 05 के अनुसार राशि के व्यय हेतु AXIS Bank खाते में हस्तान्तरित कर SASCI 26-27 Part-III के दिशा–निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

9– वित्त विभागीय पत्रांक–910/वि० दिनांक–30.07.2026 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी० एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

10– राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक–27.11.2007, 3758/वि०, दिनांक–31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

11— प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12— प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०—7 / बजट—46—28 / 2021 के पृष्ठ—48 / टि0 में प्राप्त है।

13— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14— यह मात्र व्ययादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

7.8.26

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः—7 / बजट—46—28 / 2021 - 879(7A) / स्वा0, पटना, दिनांक— 07 / 08 / 2026

प्रतिलिपिः— योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना / जिला पदाधिकारी, पटना / क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पटना प्रमंडल, पटना / असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना / निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

7.8.26

सरकार के अपर सचिव।